

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीख:.....


सं०.....सा० चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कंसारी, चादर नं०-01, थाना नं०-73, सर्वे थाना-मसौढ़ी, परगना-सांढा, जिला-पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-कंसारी, चादर नं०-01, थाना नं०-73 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश-4.69 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या-489, 492, 503, 504, 505, 801, 802, 890 एवं 904 सभी अंश भाग वो खेसरा संख्या-490 एवं 491 सभी पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

- उत्तर : खेसरा संख्या-489 अंश, 491 पूर्ण, 492 अंश, 503 अंश, 505 अंश, 801 अंश, 893 अंश, 802 अंश, 890 अंश, 894 अंश, 893 अंश।
पूरब : खेसरा संख्या-653 अंश, 498 अंश, 488 अंश, 504 अंश, 893 अंश, 801 अंश, 891 अंश, 893 अंश, 902 अंश।
दक्षिण : खेसरा संख्या-489 अंश, 490 पूर्ण, 491 अंश, 504 अंश, 893 अंश, 800 अंश, 893 अंश, 904 अंश।
पश्चिम : खेसरा संख्या-497 अंश, 496 अंश, 504 अंश, 448 अंश, 802 अंश, 800 अंश, 802 अंश, 890 अंश, 890 अंश, 905 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


सम्पाहता
पटना।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव

ज्ञापांक सं०-

दिनांक:

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के 302 सचिव।